भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल याचिका सं 6975 /2019

(अपील करने की विशेष इजाजत(सी) सं.12783/2015)

मदन लाल   अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य   प्रतिवादी

<u>**आदेश**</u>

अनुमति अनुदत्त की गई।

यह अपील एस. बी. सिविल द्वितीय अपील संख्या 317/2008में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2015 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः

पानी को लेकर पक्षकारों के बीच विवाद था कि चुनाव लड़ने वाले दलों के क्षेत्र में इसे कैसे दिया जाए। इस विवाद को राजस्थान सिंचाई और जल निकासी अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत अधिकारियों के पास ले जाया गया था। अपीलकर्ता कथित प्राधिकरण के समक्ष हार गया ।

इसके बाद अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए निचली अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत के आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता ने प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसकी अनुमति दी गई। निजी प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की और उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि सिविल कोर्ट इस तरह के विवादों पर विचार नहीं कर सकता है या उनका निपटारा नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की खंड 53 को ध्यान में नहीं रखा जो इस प्रकार हैः-

> "53. जल मार्ग में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के आपसी अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में निपटान।- (1) जब भी दो या अधिक व्यक्तियों के बीच जल स्रोत के उपयोग, निर्माण या रखरखाव के संबंध में उनके पारस्परिक अधिकारों या देनदारियों के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति डिवीजनल सिंचाई अधिकारी को लिखित में आवेदन कर सकता है जिसमें विवाद का उल्लेख हो और ऐसा अधिकारी तत्पश्चात् अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि ऐसी सूचना में नामित किए जाने वाले दिन वह उक्त मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा और ऐसी जांच के बाद वह उस पर अपना आदेश पारित करेगा जब तक कि वह मामले को कलेक्टर को हस्तांतरित नहीं कर देता है (जैसा कि उसे

इसके द्वारा अधिकार दिया गया है) जो उक्त मामले की जांच करेगा और उस पर अपना आदेश पारित करेगा।

इस तरह का आदेश किसी भी फसल के लिए पानी के उपयोग या वितरण के बारे में अंतिम होगा जब ऐसा आदेश दिया जाता है और उसके बाद तब तक लागू रहेगा जब तक कि सिविल न्यायालय में डिक्री द्वारा इसे रद्द नहीं कर दिया जाता है।

खंड 53 के केवल अवलोकन से पता चलता है कि यदि जल स्रोतों के उपयोग, निर्माण या रखरखाव के संबंध में अधिकारों और देनदारियों के संबंध में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच कोई अंतर है, तो पहले विवाद को मंडल सिंचाई अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए, जो नोटिस देने के बाद मामले की जांच करेगा और आदेश पारित करेगा। वह इस मामले को कलेक्टर को भी हस्तांतरित कर सकता है जो मामले की जांच कर सकता है और उसका निपटारा कर सकता है। संभागीय सिंचाई अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील अधीक्षक सिंचाई अधिकारी को की जा सकती है।

खंड 53 (2) आत्यन्तिक रूप से स्पष्ट है कि अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेश किसी भी फसल की बुवाई या उगाने के लिए अंतिम होगा, जब तक कि ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है और यह सिविल कोर्ट के डिक्री द्वारा रद्द नहीं किया जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सिविल न्यायालय के पास इस तरह के विवाद पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। केवल एक चेतावनी यह है

कि सिविल न्यायालय आदेश पारित करने के समय भूमि में बोई गई या उगाई गई फसलों के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि सिविल न्यायालय मुकदमा को रद्द नहीं कर सकता था। इस आधार पर, हम महसूस करते हैं कि उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करने की आवश्यकता है। हम तदनुसार आदेश देते हैं और मामले को गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय को भेज देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि दूसरी अपील को वर्ष 2008 में दायर किया गया माना जाएगा और तदनुसार निस्तारण में उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

सिविल अपील की अनुमति है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

जे.[दीपक गुप्ता]

जे. [अनिरुद्ध बोस]

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2019

आइटम नंबर 20 कोर्ट नंबर 13 खंड Xv

भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही के अभिलेख

अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाएं (सी) सं.12783/2015

(राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित एसबीसीएसए संख्या 317/2008 में दिनांक 12-01-2015 के आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न)

मदन लाल अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य प्रतिवादी

(आईए अन्य 1/2015 - फाइल करने से छूट)

तिथि: 27-08-2019 इस मामले को आज सुनवाई के लिए लिया गया ।

कोरमः न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता न्यायाधीश श्री अनिरुद्ध बोस

याचिकाकर्ताकर्ताओं की ओर से

श्री पुष्पिंदर सिंह,

अधिवक्ता श्री अमृत सिंह

श्री मेरूसागर सामंत, एओआर

प्रतिवादी की ओर से

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता,

सत्येन्द्र कुमार, अधिवक्ता

शैलजा नंदा मिश्रा, अधिवक्ता

श्री हर्ष विनय, अधिवक्ता

श्री मिलिंद कुमार, एओआर

श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता

श्री नीरज शर्मा, एओआर

वकील को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:-

<u>आदेश</u>

अनुमति अनुदत्त की गई।

सिविल अपील को हस्ताक्षरित रिपोर्ट करने योग्य आदेश के संदर्भ में अनुमति दी गई है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(मीनाक्षी कोहली)	(रेनू कपूर)
कोर्ट मास्टर	कोर्ट मास्टर

[हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य आदेश फाइल पर रखा गया है]

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.